**भारत सरकार**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 6643**

(शुक्रवार, 06 अप्रैल, 2018/16 चैत्र, 1940 (शक) को दिया गया)

**कंपनी अधिनियम को देरी से लागू करना**

**6643. डॉ. शशि थरूरः**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अंतर्गत गैर-अनुपालन की तीन वर्षीय अवधि नवम्बर, 2017 से प्रभावी हुई है;

(ख) यदि हां, तो धारा 164 का अनुपालन न करने वाली शैल कंपनियों और निदेशकों के विरुद्ध नवम्बर, 2017 की बजाय सितम्बर, 2017 में कार्यवाही करने के क्या कारण थे;

(ग) क्या सरकार ने सुनिश्चित किया है कि कंपनी पंजीकरणों को रद्द करने और निदेशकों की निरर्हता की उपरोक्त प्रक्रिया कानून को पूर्व प्रभाव से लागू करने के आधार पर भेद न हो; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)**

**(क):** 01.04.2014 से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 लागू की गई।

**(ख) से (घ):** कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन 'शैल कंपनी' पद परिभाषित नहीं है। यद्यपि, सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के उपबंधों के अनुसार सांविधिक विवरणी दायर करने का अनुपालन न करने वाली कंपनियों को गंभीरता से नोट किया है। अधिनियम की धारा 248(1)(ग) में कंपनियों के रजिस्टर से ऐसी कंपनी का नाम हटाने का प्रावधान है जो कंपनी तत्काल पूर्ववर्ती 2(दो) वित्तीय वर्षों से कोई व्यवसाय या परिचालन नहीं कर रही है और उसने उक्त अवधि के अंदर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के अधीन निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया है। उपर्युक्त प्रावधान के आधार पर, 31 मार्च, 2017 तक इस श्रेणी के अधीन 2.97 लाख कंपनियों की पहचान की गई और निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद अब तक कंपनियों के रजिस्टर से 2,26,166 कंपनियों के नाम हटा दिए गए।

इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 167 के साथ पठित धारा 164 (2)(क) के अधीन 3,09,619 निदेशकों को निरंतर तीन पूर्ववर्ती वित्त वर्ष (2013-14, 2014-15 और 2015-16) की अवधि के लिए वित्तीय विवरण या वार्षिक विवरणी दायर न करने के

कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उपर्युक्त अयोग्य निदेशकों में से, 2,10,116 अयोग्य निदेशक, नाम हटाई गई कंपनियों के बोर्ड में निदेशक थे।

*****